भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1364

गुरूवार, 11 दिसम्बर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक)

निजी प्लेसमेंट एजेंसी विधेयक

1364. श्रीमती माया नारोलिया:
श्री हर्ष महाजन:
श्री नरहरी अमीन:
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:
श्री मयंककुमार नायक:
श्रीमती धर्मशीला गुप्ता:
श्री रायगा कृष्णैया:
श्री मदन राठौड़:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीपीए विधेयक का प्रारूप किस प्रकार नौकरी तलाशने वालों को धोखाधड़ी और अनैतिक भर्ती प्रथाओं से सुरक्षा प्रदान करता है;
(ख) अनिवार्य पंजीकरण और एकीकृत करियर सेवा पोर्टल किस प्रकार निजी प्लेसमेंट एजेंसियों की निगरानी को सुदृढ़ करेगा;
(ग) क्या पीपीए विधेयक के प्रारूप पर हितधारकों के साथ परामर्श किया गया था;
(घ) यह विधेयक किस प्रकार सरकारी संस्थानों और निजी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को प्रोत्साहित करता है;
(ङ) नौकरी तलाशने वालों के लिए कौन सा शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है;
(च) भारत की वैश्विक रोजगार प्रतिस्पर्धात्मकता पर इसका अपेक्षित प्रभाव क्या है; और
(छ) दंडात्मक प्रावधान किस प्रकार कुप्रथाओं को रोकने एवं प्लेसमेंट एजेंसियों में नैतिक आचरण सुनिश्चित करने में सहायक होंगे?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (छ): निजी प्लेसमेंट एजेंसी (पीपीए) (विनियमन) विधेयक, 2025 को भारत सरकार के श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने तैयार किया है।

इस विधेयक को हितधारकों के परामर्श हेतु पब्लिक डोमेन में रखा गया था।

निजी प्लेसमेंट एजेंसी विनियमन विधेयक का उद्देश्य सभी निजी प्लेसमेंट एजेंसियों को विनियमित एवं पंजीकृत करना है ताकि पारदर्शी और जवाबदेह भर्ती प्रक्रियाएँ सुनिश्चित की जा सकें। इसका उद्देश्य नौकरी ढूंढने वालों को शोषण, धोखाधड़ी और असुरक्षित नियोजन से बचाना है। यह बिल निष्पक्ष और नैतिक रोज़गार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट परिचालन मानक और निगरानी तंत्र भी स्थापित करता है।

*****